

C. Singh
Circled. Name

उत्तर प्रदेश शासन
चिन्तित (सामान्य) अनुसूची-4
संख्या-सा-4-229/सा-2000-626-2000
दिनांक : दिनांक : 10 मार्च, 2000

कार्यालय-जोप

विषय:- उत्तर प्रदेश, वेतन समिति {1997} की संस्तुतियों के अनुसार वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।

संगोष्ठस्तारों को अद्य कहेने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों को अपने विभिन्न प्रकार के वाहनों का संतोषजनक और-धालू स्थिति में रखते हुए सरकारी कार्य के हित में सुगमता पर की जाने वाली यात्राओं में उपयोग करने हेतु चिन्तीय नियम संख्या 3 के नियम-02 के अधीन अनुसूची वाहन भत्ते की दरों का निर्धारण अतिम सार कार्यालय जोप संख्या-सा-4-1480/दस-00-626/79, दिनांक 3 अक्टूबर, 1988 द्वारा किया गया था। उक्त संघ में वेतन समिति 1997-99 द्वारा की गयी संस्तुतियों पर विचारो-परान्त राज्यपाल महोदय निम्न स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान दरों के स्थान पर स्तम्भ-4 में उल्लिखित दरों वाहन भत्ता पुनरीक्षित किये जाने की राह में स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	वाहन का नाम	वाहन भत्ते की वर्तमान दरें संघ प्रतिमाह	वाहन भत्ते की पुनरीक्षित दरें संघ प्रतिमाह
1	2	3	4
1-	मोटर साइकिल स्वेट औरत स्थानीय यात्रा 400 किलोमी प्रतिमाह से अधिक होती है	300	800
2-	मोटर साइकिल/स्कुटर	120	350
3-	मोपेड	50	150
4-	साइकिल	20	50

2- यदि किसी मामलों में उक्त स्तम्भ-4 में अंकित दरों से उंची दर पर वाहन भत्ता स्वीकृत किया गया है तो उसे भी उपर्युक्त पुनरीक्षित दर पर ही वाहन भत्ता अनुसूची होगा।
3- वाहन भत्ते की उक्त दरें केवल ऐसे मामलों में ही प्रभावी हैं, जिनमें सरकारी कार्य के हित में की जाने वाली यात्राओं हेतु उपर्युक्त वाहनों को संतोषजनक स्थिति में रखे जाने की शर्त के अधीन वाहन भत्ता स्वीकृत किया गया हो।

I.T
UP load को
27.01.18 EE

1- वाहन मत्ता के अन्तर्गत सेवा संवर्ग के विभिन्न विभागों को वाहन मत्ता उनके सामान्य कार्य के कार्यों के अतिरिक्त माह में काम से काम 25 डिजिट पर ही अनुमत्त होगा और इस हेतु इन सेवा संवर्ग के विभिन्न विभागों, जिन्हें यह मत्ता अनुमत्त कराया जाय, उनकी अतिरिक्त रिक्त-डिजिट का निर्धारित प्रारूप रजिस्टर में तिथिवार दर्ज किया जाय। वाहन मत्ता का अनुमत्त होने उच्च अधिकारी द्वारा न्यूनतम अतिरिक्त डिजिट पूरे होने के प्रमाण प्राप्त होने के बाद ही किया जाय।

5- वाहन मत्ता की उचित परीक्षा सरकारी सेवाओं को अपनी कोटि के अनुसार अनुमत्त होगी जिन्हें वित्तीय विभाग संग्रह की परिशिष्ट - VIII में शासन के वित्त विभाग की सहमति से / द्वारा स्वयं निर्गत शिपे गये आदेशों के अधीन वाहन मत्ता ग्रहण ही।

6- वाहन मत्ता के संबंध में वित्तीय विभाग संग्रह खण्ड-3 के नियम-82 द्वारा शासन द्वारा वाहन मत्ता की अनुमत्तता हेतु समय-समय पर निर्गत किये गये आदेशों को तदनुसार उचित सीमा तक संशोधित किया जाय। उनमें विहित समस्त अन्य शर्तें पदांतत लागू रहेंगी।

7- उक्त वाहन मत्ता को अब से "वाहन व्यय प्रतिपूर्ति मत्ता" नाम से जाना जायेगा।

8- ये आदेश इस फायदापूर्ण रूप के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

ह/

डी०के० शर्मा
सचिव।

संख्या-सा-4-229/1/स-2000-626/2000 तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, ऑडिट प्रभाग एवं द्वितीय, जयपुर, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार, द्वितीय, जयपुर, लखनऊ।
- 3- सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद, विधान भवन, लखनऊ।
- 4- निदेशक, वित्तीय एवं प्रबन्ध प्रशिक्षण शोध संस्थान, लखनऊ।
- 5- शासन के समस्त विशेष सचिव/ सचिव/ प्रमुख सचिव।

- 6- सचिवालय के सामस्त अनुभाग ।
- 7- प्रदेश के सामस्त कोषाधिकारी ।
- 8- जिला के पंच गापदण्ड; निपटण्ड अनुभाग ।

आज्ञा से,

दृष्ट/-

शिव प्रकाश
संयुक्त सचिव ।

संख्या-सा-4-229 118/दस-2000-626/2000 दिनांक 16 मार्च, 2000
 उपर्युक्त की प्रतिलिपि सामस्त विभागाध्यक्ष प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
 उत्तर प्रदेश, को. श्री सुधनाथ एवं आचार्यका कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

शिव प्रकाश
संयुक्त सचिव ।